छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 82 प्रकरण क्रमांक –**SM-EXP-2024-02217**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''पॉवर इम्पेरिया 'राइज'', प्रमोटर–एच.एम. इन्फ्राटेक, द्वारा– श्री महेश भवनानी, पता–प्लॉट नं.–03, इंदिरा कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, ट्रांसपोर्ट नगर, जिला–कोरबा (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–'' पॉवर इम्पेरिया 'राइज'' पुलगाँव, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
04/03/2024	– प्रकरण प्रस्तुत। – भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा–5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट ''पॉवर इम्पेरिया 'राइज'' पंजीयन क्रमांक–**PCGRERA110319000934** के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में दिनाँक 11.03.2019 से पंजीकृत कराया गया है। उक्त प्रोजेक्ट की रेरा पंजीयन की वैधता दिनाँक 30.09.2023 को समाप्त हो चुकी है। प्रमोटर द्वारा उक्त प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–3 अनुसार प्रोजेक्ट अवैध प्रोजेक्ट की श्रेणी में आ चुका है। उक्त कृत्य भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–3 के उपबंधों का उल्लंघन है, जिसके लिये अधिनियम की धारा–59 के अधीन प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत तक शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है। रजिस्ट्रार, छ..ग द्वारा प्रतिवेदन दिनाँक 24.11.2023 के अनुसार यह पाया गया है कि संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के उक्त प्रावधानों का अवहेलना व उल्लंघन करते हुये उक्त प्रोजेक्ट की वैधता समाप्त होने के बावजूद प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र नियमानुसार प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरूद्ध दिनाँक 14.02.2024 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। – अनावेदक द्वारा अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से जवाब प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट दिनाँक 13.04.2021 के पूर्व पूर्ण हो चुका है। नगरपालिका निगम, कोरबा द्वारा जारी पूर्णता प्रमाण पत्र से स्पष्ट है। उक्त प्रोजेक्ट के पूर्ण होने के संबंध में आर्किटेक्ट द्वारा जारी एनेक्सर–20 दिनाँक 01.05.2021 से स्पष्ट है कि उक्त प्रोजेक्ट 100 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। अनावेदक द्वारा कुछ अनजाने त्रुटि के कारण उपरोक्त पूर्णता प्रमाण पत्र रेरा वेबपोर्टल पर अपलोड	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 82 प्रकरण क्रमांक –**SM-EXP-2024-02217**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''पॉवर इम्पेरिया 'राइज'', प्रमोटर–एच.एम. इन्फ्राटेक, द्वारा– श्री महेश भवनानी, पता–प्लॉट नं.–03, इंदिरा कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, ट्रांसपोर्ट नगर, जिला–कोरबा (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–'' पॉवर इम्पेरिया 'राइज'' पुलगाँव, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	नहीं किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण में अनावेदक पर जुर्माना नहीं लगाये जाने तथा प्रकरण को समाप्त करने का निवेदन किया गया है। – प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा सक्षम प्राधिकरण से दिनाँक 13.04.2021 को कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट का त्रैमासिक अद्यतन जून, 2021 तक विकास कार्य पूर्ण किया गया है। अतः प्रकरण में कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण प्रकरण समाप्त किया जाता है। – आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। – प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। सही / – (धनंजय देवांगन) सदस्य सही / – (संजय शुक्ला) अध्यक्ष	